न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्या:–45/2017
टी.सी.एम.एस .संख्या:–2017/00032

उनवान

1. पुरुषोतम उर्फ परस्या पुत्र श्रीनारायण जाति सैन (फौत) (हजफ)
2. सरिता पत्नि पुरुषोतम जाति सैन
3. हेमराज पुत्र पुरुषोतम जाति सैन
4. तेज कुमार पुत्र पुरुषोतम जाति सैन
सभी निवासी पॉचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलार्थीगण।

बनाम

1. रामहेत पुत्र श्रीनारायण जाति सैन निवासी पॉचोलास हाल निवासी जैन निकेतन, जैन धर्मशाला के सामने रेल्वे स्टेशन कोटा।
2. मनोज पुत्र पुरुषोतम जाति सैन निवासी पॉचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर ।

...रेस्पोडेन्टगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–
1. श्री रविन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता अपीलांटस्।
2. श्री आशीष जैन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1।
3. श्री गोविन्द कुमार दीक्षित रेस्पोडेन्ट संख्या 2।

–::निर्णय::–

दिनांक 29.11.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 191/2008 बउनवान रामहेत बनाम पुरुषोतम वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर पुराना 728 रकबा 3 बीघा एवं नया नम्बर 1977 रकबा 0.40

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर, 1978 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1979 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1980 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 1981 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके पांचोलास जो कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है में प्रतिवादीगण द्वारा मजाहमत करने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने लोक अदालत की भावना से दिनांक को राजीनामा दिनांक 02.06.2017 को आधार मानकर वाद का फैसला कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात पर रामहेत का कभी कब्जा नही रहा। एवम् अपीलांट संख्या 01 ही 50 वर्षों से आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वाद पत्र को स्वयं रामहेत द्वारा साबित करनां था, परन्तु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा राजीनामे की आड़ में बिना सहमति के आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के मुकदमा नम्बर 191/08 में दिनांक 02.06.17 को किया गया निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त ना पूर्व में रहा ना ही वर्तमान में है।

6. मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित लोक अदालत मे दिनांक 02.06.17 को प्रस्तुत राजीनामा में केवल मनोज के ही हस्ताक्षर है। जबकि नियमानुसार अकेला मनोज ही राजीनामा नही कर सकता है, राजीनामा के लिए सभी पक्षकारान का उपस्थिति होना आवश्यक है। अतः मातहत अदालत का उक्त निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

7. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.40 है0, 1978 रकबा 0.10 है0, 1979 रकबा 0.03 है0, 1980 रकबा 0.20 है0, 1981 रकबा 0.03 है0, कुल पांच किता रकबा 0.76 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार है और उसी का ही निरन्तर [illegible] आ रहा है। अपीलान्टगण का आराजीयात पर किसी भी प्रकार से हक नही है [illegible]पील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

सहायक अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

8. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

9. हमारे द्वारा पत्रावली मे मौजूद रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी/रेस्पो0 01 के नाम किसी भी प्रकार की जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नही है। जमाबंदी संवत् 2067 वाके ग्राम पांचोलास जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नम्बर 1853/1 रकबा 0.5100 हैक्टेयर अपीलांट परस्या पुत्र श्री नारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

10. अदालत मातहत की पत्रावली मे राजीनामा का भी अवलोकन किया गया और इसी आधार पर निर्णित किया गया परन्तु अदालत मातहत द्वारा अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन न करने की भारी भूल की गई है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम बिना कोई राजस्व रिकार्ड के ही पत्रावली में सलंग्न होते हुए भी राजीनामा को तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध व अपास्त योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 191/2008 बउनवान रामहेत बनाम पुरूषोतम वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner